

बिहार सरकार  
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

आदेश

आ०सं० -वि० प्रा० (II) स्था०-27 / 2019 / /पटना, दिनांक -

मो० शम्स नदीम, व्याख्याता (भौतिकी), राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9 की उप नियम-3 (i) में निहित प्रावधानों के अधीन दिनांक- 20.09.2019 के अपराहन से योगदान की स्वीकृति प्रदान करते हुए निलंबन से मुक्त किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।



संयुक्त सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।

ज्ञापांक - वि० प्रा० (II) स्था०-27 / 2019 / 4054/पटना, दिनांक - 4-12-2019

प्रतिलिपि- महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, शेखपुरा/प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, शेखपुरा एवं संबंधित व्याख्याता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।



संयुक्त सचिव,

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग।